



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एनयूएलएम) (राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, निकट डांगल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226027

e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org



पत्रांक 77/241/एनयूएलएम/तीन/(EST&P) 2018-19 (Trg.)Vol-II

दिनांक 29/04/19

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: DAY-NULM के घटक SEP के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं एवं EST&P के प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

दीनदयाल अन्वोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत स्वरोजगार/लघु उद्यम स्थापना हेतु व्यक्तिगत एवं समूह ऋण (ब्याज अनुदान आधारित) उपलब्ध कराया जाता है।

एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्वरोजगार कार्यक्रम (व्यक्तिगत एवं समूह ऋण) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं और कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार/लघु उद्यम स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यदि ऋण उपलब्ध भी कराया गया है तो वह एम0आई0एस0 पर परिलक्षित नहीं हो रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वरोजगार/लघु उद्यम स्थापना हेतु शहरी पथ विक्रेताओं एवं कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्याज अनुदान आधारित ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि उन्हें स्थाई आजीविका उपलब्ध करायी जा सके। उक्त आंकड़ों के एम0आई0एस0 पर परिलक्षित न होने के परिणामस्वरूप Spark Ranking में इस घटक के अन्तर्गत अच्छा कार्य किये जाने के उपरान्त भी निम्न कोटी की रैंकिंग में प्रदेश की स्थिति परिलक्षित होती है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली Spark Ranking में प्रदेश की स्थिति प्रगति के सोपक्ष बेहतर किये जाने हेतु आवश्यक है कि Spark Ranking के मानको का अनुपालन एन0यू0एल0एम0 के सभी घटकों में सुनिश्चित किया जाये।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित कुल लक्ष्यों में से 25% लक्ष्य शहरी पथ विक्रेताओं हेतु एवं 25% लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों हेतु आरक्षित करते हुए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं समूह ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
29.04.19
(डा0 वी0 के0 सिंह)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त परियोजना अधिकारी, सूडा को इस निर्देश से प्रेषित की उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
2. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को इस निर्देश से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।
3. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 वी0 के0 सिंह)
अपर निदेशक